2012: सीजीएचसी:9147

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 555/2004

लियाकत खान

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

(दिनांक 14/08/2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

श्री आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 555/2004

अपीलार्थी लियाकत खान, पिता महमूद अहमद, जाति मुसलमान, आयु लगभग 22 वर्ष, व्यवसाय चालक, निवासी नूरी मस्जिद के सामने, फरीदनगर, सुपेला, थाना सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से : सुश्री फौजिया मिर्जा, अधिवक्ता |

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से : श्री आर.आर. सिन्हा, शासकीय अधिवक्ता |

दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील

निर्णय

(दिनांक 14 अगस्त, 2012 को पारित)

यह अपील स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') के द्वारा विशेष न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा विशेष प्रकरण संख्या 12/2003 में दिनांक 24-06-2004 को पारित आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित निर्णय द्वारा,

अभियुक्त/अपीलार्थी लियाकत खान को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') की धारा 20(बी)(ii)(बी) के द्वारा दोषसिद्ध किया गया था और 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 40,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया था, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है:-

उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा-1) क्राइम ब्रांच, दुर्ग में पदस्थ थे। दिनांक 18-07-2003 को, वह गश्ती ड्यूटी पर थे। गश्ती ड्यूटी के दौरान, उन्हें गुप्त सूचना मिली कि अपीलार्थी गांजा बेच रहा है। उन्होंने मुखबिर सूचना पंचनामा **प्रदर्श-पी/1** के रूप में तैयार किया और उसे उप पुलिस अधीक्षक, क्राइम ब्रांच, दुर्ग को **प्रदर्श-पी/3** के माध्यम से प्रेषित किया। उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1), पुलिस कर्मियों और साक्षियों के साथ, डॉ. राजेंद्र प्रसाद चौक, सुपेला पहुंचे। अपीलार्थी, एक बैग लेकर, मस्जिद से आ रहा था। उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) ने अपीलार्थी को रोका और उसे अधिनियम, 1985 की धारा 50 के द्वारा नोटिस (**प्रदर्श-पी/4**) के रूप में दिया। अपीलार्थी ने **प्रदर्श-पी/5** के माध्यम से तलाशी के लिए अपनी सहमति दी। पुलिस कर्मियों ने अपनी तलाशी अपीलार्थी को दी और **प्रदर्श-पी/6** के अनुसार पंचनामा तैयार किया। तत्पश्चात, अपीलार्थी के बैग की तलाशी ली गई जिसमें एक जूट का बैग और पॉलिथिन पैकेट पाए गए और तलाशी पंचनामा (**प्रदर्श-पी/7**) तैयार किया गया। जब्त वस्तुओं को **प्रदर्श-पी/8** के माध्यम से बरामद किया गया और मौके पर ही पदार्थ, अर्थात् गांजा की पहचान की गई।, पहचान पंचनामा **प्रदर्श-पी/9** के रूप में तैयार किया गया। भौतिक सत्यापन के बाद, यह पाया गया कि अपीलार्थी के कब्जे से बरामद जब्त वस्तुएं गांजा थीं। गांजा को मौके पर ही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तौला गया। जूट के बैग में 10 किलो और प्रत्येक पॉलिथिन पैकेट में 4 किलो गांजा था। अपीलार्थी से कुल 18 किलो गांजा बरामद हुआ और **प्रदर्श-पी/11** के रूप में पंचनामा तैयार किया गया। गांजा **प्रदर्श-पी/13** के रूप में जब्त किया गया। अपीलार्थी को गिरफ्तारी ज्ञापन (**प्रदर्श-पी/14**) के रूप में तैयार कर गिरफ्तार किया गया। देहाती नालिशी (**प्रदर्श-पी/15**) उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) द्वारा मौके पर अभिलिखित की गई। जूट के बैग और पॉलिथिन पैकेटों से 50-50 ग्राम गांजा के तीन नमूने तैयार किए गए और सील किए गए। तत्पश्चात, उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) वापस थाने आए और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (**प्रदर्श-पी/15अ**) के रूप में थाना सुपेला में पंजीकृत की गई। संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु मालखाना मोहरिर को सौंप दी गई और वरिष्ठ अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही प्रतिवेदन प्रतिप्रेषित की गई। जब्त गांजा के तीन नमूने **प्रदर्श- पी/18** के रूप में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजे गए। वहां से प्रतिवेदन (**प्रदर्श-पी/23**) के रूप में प्राप्त हुई जिसमें गांजा का परीक्षण सकारात्मक पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परीक्षण पूरी होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') के द्वारा विशेष न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर विचारण शुरू किया और अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध और दंडित किया।

3. अपीलार्थी की अधिवक्ता सुश्री फौजिया मिर्जा ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') की धारा 20 के द्वारा दोषसिद्ध के लिए आवश्यक सबूत का अभाव है। स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आगे तर्क दिया

कि जब्ती ज्ञापन (**प्रदर्श-पी/13**) में उल्लेख है कि नमूनों को ए1, बी1 और सी1 के रूप में चिह्नित किया गया था और मूल पैकेटों को ए, बी और सी के रूप में चिह्नित किया गया था। मालखाना रजिस्टर (**प्रदर्श-पी/16अ**) में भी उल्लेख है कि मूल गांजा को ए, बी और सी के रूप में और नमूनों को ए1, बी1 और सी1 के रूप में चिह्नित किया गया था। अभियोजन के अनुसार, नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजे गए थे, लेकिन **प्रदर्श-पी/23** में उल्लेख है कि ए, बी और सी रायपुर भेजे गए थे। इससे पता चलता है कि नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर नहीं भेजे गए थे। पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन (**प्रदर्श- पी/18**) में उल्लेख है कि नमूने रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए थे, इसलिए संभावना है नमूनों के साथ छेड़छाड़ की गयी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विवेचना अधिकारी ने सीलबंद पंचनामा नहीं बनाया और न ही जब्ती ज्ञापन और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर मुहर का नमूना अंकित किया गया। अतः अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने का हकदार है। उन्होंने **जुगलकिशोर बनाम पंजाब राज्य [(2008) 17 एससीसी 747], यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बालमुकुंद एंड ऑर्स [(2009) 12 एससीसी 161], ऊसेफ बनाम केरल राज्य [(2004) 10 एससीसी 647], राजस्थान राज्य बनाम भेर सिंह [(2009) 16 एससीसी 293] और रामजी एंड टू ऑर्स बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [(2006) 4 एमपीएचटी 44 (सी.जी.)]** निर्णयों का अवलंब लिया है।

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री आर.आर. सिन्हा ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा दिया गया दोषसिद्धि और दंडादेश इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है और विशेष प्रकरण क्रमांक 12/2003 का अभिलेख भी देखा है। अभियोजन ने उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1), प्रधान आरक्षक भीखमचंद (अ.सा.-2), प्रधान आरक्षक यूसुफ खान (अ.सा.-3), मोहम्मद अहमद (अ.सा.-4), मोहम्मद समीर अहमद (अ.सा.-5), निरीक्षक अजीत यादव (अ.सा.-6) को परीक्षित किया। अपीलार्थी ने अपने बचाव में डॉ. एच.एस. भंवरा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला अधिकारी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (ब.सा.-1) को परीक्षित किया।

6. अब, मैं परीक्षण करूंगा कि क्या स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') की धारा 42 का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया है या नहीं?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) ने शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि दिनांक 18-07-2003 को, वह क्राइम ब्रांच, दुर्ग के प्रभारी के रूप में पदस्थ थे। दिनांक 18-07-2003 को, वह गश्ती ड्यूटी पर थे। गश्ती ड्यूटी के दौरान, उन्हें गुप्त सूचना मिली कि अपीलार्थी के पास गांजा है और वह सुपेला चौक से डॉ. राजेंद्र प्रसाद चौक, सुपेला तक गांजा ले जा रहा था। उन्होंने मुखबिर सूचना पंचनामा (**प्रदर्श-पी/1**) तैयार किया। उन्होंने आगे शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि उन्होंने मुखबिर सूचना पंचनामा उप पुलिस अधीक्षक, क्राइम ब्रांच, दुर्ग को **प्रदर्श-पी/3** के माध्यम से प्रेषित किया।

8. उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1), **प्रदर्श-पी/1** और **प्रदर्श-पी/3** के साक्ष्य को देखने से प्रतीत होता है कि एस. डेविड (अ.सा.-1) गश्ती ड्यूटी पर थे। उन्हें गश्ती ड्यूटी के दौरान गुप्त सूचना मिली और उन्होंने गुप्त सूचना **प्रदर्श-पी/1** के रूप में अभिलिखित की और उसे उप पुलिस अधीक्षक, क्राइम ब्रांच, दुर्ग को प्रेषित किया। यही बात रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1437 (**प्रदर्श- पी/21अ**) में भी उल्लिखित है। अतः यह स्पष्ट है

कि उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') की धारा 42 के प्रावधान का अनुपालन किया।

9. अब, मैं परीक्षण करूंगा कि क्या स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') की धारा 50 का प्रावधान इस मामले में आज्ञापक है, और यदि आज्ञापक है, तो क्या उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) द्वारा इसका पर्याप्त अनुपालन किया गया है या नहीं।

10. उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) ने शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि तलाशी लेने से पहले, उन्होंने अपीलार्थी को एक नोटिस दिया और उसे **प्रदर्श-पी/4** के माध्यम से उसके अधिकार के बारे में सूचित किया। अपीलार्थी की सहमति **प्रदर्श-पी/5** के रूप में अभिलिखित की गई जिस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं। साक्षियों के समक्ष नोटिस देने के बाद अपीलार्थी की तलाशी लेने पर गांजा उसके कब्जे में पाया गया जिसे साक्षियों के समक्ष जब्त कर लिया गया। **प्रदर्श-पी/4** स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') की धारा 50 के द्वारा एक नोटिस है। **प्रदर्श-पी/4** में उल्लेख है कि—

> "आपको इस नोटिस के जरिये यह सूचित किया जाता है कि मुझ पुलिस अधिकारी एस. डेविड, उप-निरी. जिला क्राईम ब्राँच दुर्ग को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि आपके पास मादक द्रव्य गांजा है जिसके लिए आपकी तलाशी लेना आवश्यक है आपको अधिकार है कि आप अपनी तलाशी दण्डाधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष करा सकते हैं। अतः इस संबंध में आपको सूचना दी जाती है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और अपीलार्थी ने **प्रदर्श-पी/5** के माध्यम से अपनी सहमति दी। **प्रदर्श-पी/5** में उल्लेख है कि—

> "...........लिखित में अभिस्वीकृती देता हूं कि मैं स्वयं की तलाशी अवैध गांजा रखने के संबंध में किसी दण्डाधिकारी अथवा राजपत्रीत अधिकारी से नहीं कराना चाहता और अपनी तलाशी आपको देना चाहता हूं आपके द्वारा तलाशी लेने पर मुझे कोई आपत्ती नहीं है।"

11. अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') की धारा 50 के द्वारा उसके अधिकार के बारे में **प्रदर्श-पी/4** के माध्यम से सूचित किया गया था। **प्रदर्श-पी/5** के रूप में अपीलार्थी की सहमति अभिलिखित की गई थी। यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') की धारा 50 के प्रावधान का पर्याप्त अनुपालन भी उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) द्वारा किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) ने शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी बैग ले जा रहा था और अपीलार्थी को नोटिस देने के बाद, बैग की तलाशी ली जिसमें एक जूट का बैग और पॉलिथिन पैकेट पाए गए और पंचनामा (**प्रदर्श- पी/7**) के रूप में तैयार किया गया और गांजा अपीलार्थी के कब्जे में पाया गया और इसे साक्षियों के समक्ष **प्रदर्श-पी/13** के रूप में जब्त किया गया । इससे पता चलता है कि बैग की तलाशी ली जानी थी और यह व्यक्तिगत तलाशी नहीं थी।

13. **जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, [एआईआर 2011 एससी 964**] में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

> "12. ए. .... इस न्यायालय ने ***कालेमा तुंबा बनाम महाराष्ट्र राज्य, [(1999) 8 एससीसी 257***] के मामले में, स्वापक औषधि

और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') अधिनियम की धारा 50 के द्वारा 'व्यक्तिगत तलाशी' से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा की और निम्नानुसार निर्णय दिया:

"…. यदि कोई व्यक्ति अपने साथ एक बैग या कोई अन्य वस्तु ले जा रहा है और उसमें से मादक द्रव्य या मनःप्रभावी पदार्थ पाया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह उसके व्यक्ति से पाया गया।"

इसी प्रकार, ***मेघ सिंह बनाम पंजाब राज्य, [(2003) 8 एससीसी 666***] के मामले में, इस न्यायालय ने टिप्पणी किया कि:

"धारा 50 का सरल वाचन दर्शाता है कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होती है। यह वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक विस्तारित नहीं होती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 50 के दायरे और विस्तार की परीक्षण इस न्यायालय ने ***हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार, [(2005) 4 एससीसी 350***] के मामले में भी की थी। अनुच्छेद 10 और 11 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी किया:

"10. हम यहां 'व्यक्ति' शब्द की व्यापक परिभाषा से चिंतित नहीं हैं, जो कानूनी दुनिया में निगमों, संघों या व्यक्तियों के निकाय को शामिल करती है, क्योंकि वास्तविक रूप में इस प्रकार के मामलों में उनके परिसर की तलाशी की जा सकती है न कि व्यक्ति की। अधिनियम की योजना और उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें इसका उपयोग स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') की धारा में किया गया है, इसका स्वाभाविक अर्थ एक मानव प्राणी या एक

जीवित व्यक्तिगत इकाई है न कि एक कृत्रिम व्यक्ति। शब्द को एक व्यापक सामान्य-समझ वाले तरीके से समझा जाना चाहिए और इसलिए, यह एक मानव प्राणी का नग्न या अनावृत शरीर नहीं है, बल्कि वह तरीका है जिसमें एक सामान्य मानव प्राणी एक सभ्य समाज में घूमेगा। इसलिए, 'व्यक्ति' शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ प्रतीत होता है — 'एक मानव प्राणी का शरीर जैसा कि सार्वजनिक दृश्य के लिए प्रस्तुत किया जाता है, सामान्यतः उसके उपयुक्त आवरणों और वस्त्रों सहित'। एक सभ्य समाज में, उपयुक्त आवरण और वस्त्र पूर्णतया आवश्यक माने जाते हैं और कोई भी स्वस्थ मानव प्राणी बिना उपयुक्त आवरण और वस्त्रों के दूसरों के सामने नहीं आता। उपयुक्त आवरणों में जूते भी शामिल होंगे क्योंकि सामान्यतः इसे अपने घर से बाहर घूमते समय पहना जाने वाला एक आवश्यक वस्तु माना जाता है। इस तरह के उपयुक्त आवरण या वस्त्र या जूते, पहने जाने के बाद, बिना किसी ध्यान देने योग्य या अत्याधिक प्रयास के मानव शरीर के साथ चलते हैं। एक बार पहन लेने के बाद, वे सामान्यतः मानव प्राणी के शरीर से अलग नहीं होंगे, जब तक कि उस दिशा में कोई विशिष्ट प्रयास न किया जाए। प्रावधान की व्याख्या के लिए, कुछ धार्मिक संन्यासियों और ऋषियों के दुर्लभ मामले, जो अपने धार्मिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुसार अपने शरीर को वस्त्रों से ढंकते नहीं हैं, पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए, 'व्यक्ति' शब्द का अर्थ उपयुक्त आवरणों और वस्त्रों और साथ ही जूतों सहित एक मानव प्राणी होगा।

11. एक बैग, ब्रीफकेस या ऐसी कोई वस्तु या कंटेनर आदि को किसी भी स्थिति में मानव प्राणी के शरीर के रूप में नहीं माना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जा सकता है। उन्हें एक अलग नाम दिया जाता है और वे इस रूप में पहचाने जाने योग्य होते हैं। उन्हें दूर से भी मानव प्राणी के शरीर का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता पर निर्भर करते हुए, वह किसी भी संख्या में वस्तुएं जैसे बैग, ब्रीफकेस, सूटकेस, टिन का बक्सा, थैला, झोला, गठरी, कार्टन आदि अलग-अलग आकार, माप या वजन के ले जा सकता है। हालाँकि, उनके साथ ले जाते या चलते समय, कुछ अत्याधिक प्रयास या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उन्हें या तो हाथ से ले जाना होगा या कंधे या पीठ पर लटकाना होगा या सिर पर रखना होगा।

सामान्य बोलचाल में, यह कहा जाएगा कि एक व्यक्ति एक विशेष वस्तु ले जा रहा है, जिस तरीके से इसे ले जाया गया जैसे हाथ, कंधे, पीठ या सिर आदि निर्दिष्ट किया जावे। इसलिए, इन वस्तुओं को अधिनियम की धारा 50 में आने वाले 'व्यक्ति' शब्द के दायरे में शामिल करना संभव नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **मदनलाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, [(2003) 7 एससीसी 465**] और **मेघ सिंह बनाम पंजाब राज्य, [(2003) 8 एससीसी 666**] में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी किया कि अधिनियम, 1985 की धारा 50 का सरल वाचन दर्शाता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होती है। यह वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक विस्तारित नहीं होती है। धारा 50 की भाषा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि तलाशी किसी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए, जैसा कि परिसर, वाहन या वस्तुओं की तलाशी के विपरीत है। यह स्थिति संविधान पीठ द्वारा **पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, [(1999) 6 एससीसी 172]** में निर्विवाद रूप से स्थापित कर दी गई थी।

15. उपर्युक्त स्थापित कानूनी स्थिति के आलोक में, अधिनियम, 1985 की धारा 50 लागू नहीं होगी जब तलाशी किसी घर या वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर में की जाती है। वर्तमान प्रकरण में, तलाशी एक बैग की ली गई थी जो अपीलार्थी द्वारा ले जाया जा रहा था, इसलिए, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') 1985 की धारा 50 इस मामले पर लागू नहीं होती है।

16. उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) ने शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि गांजा अपीलार्थी के बैग से बरामद हुआ था। बरामद गांजा को जूट के बैग और पॉलिथिन में रखा गया था। बरामद वस्तु की पहचान की गई और पहचान पंचनामा **प्रदर्श-पी/9** के रूप में तैयार किया गया। भौतिक सत्यापन के बाद, यह पाया गया कि बरामद वस्तुएं गांजा थीं। उन्होंने आगे शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि गांजा को मौके पर ही तौला गया। जूट के बैग में 10 किलो और प्रत्येक पॉलिथिन पैकेट में 4 किलो गांजा था। अपीलार्थी से कुल 18 किलो गांजा बरामद हुआ और वजन पंचनामा **प्रदर्श-पी/11** के रूप में तैयार किया गया। गांजा प्रदर्श- पी-13 के रूप में जब्त किया गया। उन्होंने आगे शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि मौके पर ही 50 ग्राम गांजा के तीन नमूने तैयार किए गए और सील किए गए। उन्होंने आगे शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि उन्होंने अपीलार्थी को **प्रदर्श-पी/14** के द्वारा गिरफ्तार किया और देहाती नालिशी **प्रदर्श-पी-15** के रूप में मौके पर अभिलिखित की गई। तत्पश्चात, वह वापस थाने आए और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (**प्रदर्श-पी/15ए**) के रूप में थाना सुपेला में पंजीकृत की गई। जब्त संपत्ति और नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए मालखाना मोहरिर को सौंप दिया गया।

17. प्रधान आरक्षक भीखमचंद (अ.सा.-2) ने शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि दिनांक 18-07-2003 को, वह थाना सुपेला में थाना मोहरिर के रूप में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पदस्थ थे। उन्होंने आगे शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि दिनांक 18-07-2003 को, उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए मालखाना में संपत्ति और नमूने प्राप्त किए और उसी की प्रविष्टि मालखाना रजिस्टर **प्रदर्श- पी/16** के रूप में की गई और इसकी प्रति **प्रदर्श-पी/16अ** है।

18. उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1), प्रधान आरक्षक भीखमचंद (अ.सा.-2) और **प्रदर्श-पी/16अ** के साक्ष्य को देखने से, यह स्पष्ट है कि जब्त गांजा और नमूने उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) द्वारा सुरक्षित रखने के लिए मालखाना मोहरिर को सौंप दिए गए थे।

19. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1985') की धारा 55 यह परिकल्पित करती है कि गांजा और नमूना पैकेटों को मालखाना में सौंपने से पूर्व, मालखाना मोहरिर उन वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अब, मैं परीक्षण करूंगा कि क्या उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) या मालखाना मोहरिर ने जब्त संपत्ति और नमूनों पर अपनी मुहर लगाई थी?

21. उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) ने शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि यह सच है कि उन्होंने जब्ती ज्ञापन में यह नहीं लिखा था कि संपत्ति सील की गई थी। **प्रदर्श-पी/16अ** मालखाना रजिस्टर की फोटो प्रति है, जिसमें यह उल्लिखित नहीं है कि संपत्ति और नमूने सील किए गए थे और नमूने सीलबंद स्थिति में रखे गए थे। **प्रदर्श-पी/13** जब्ती ज्ञापन है। **प्रदर्श-पी/13** में भी यह उल्लिखित नहीं है कि जब्त वस्तुओं और नमूनों को मौके पर ही सील किया गया था। यहां तक कि **प्रदर्श-पी/13** में मुहर का नमूना भी अंकित नहीं था। **प्रदर्श-पी/15** देहाती नालिशी है। देहाती नालिशी **प्रदर्श-पी/15** में भी यह उल्लिखित नहीं है कि संपत्ति और नमूने सील किए गए थे। मालखाना रजिस्टर (**प्रदर्श-पी/16अ**) भी यह नहीं दर्शाता है कि

सुरक्षित रखने के लिए सौंपी गई प्रतिबंधित वस्तु और 3 नमूना पैकेट सीलबंद स्थिति में थे और अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि जब्ती के बाद, उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) ने नमूना पैकेटों के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजे जाने के लिए मुहर का नमूना तैयार किया था।

22. प्रधान आरक्षक भीखमचंद (अ.सा.-2) ने शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि नमूने विश्लेषण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजे गए थे। मालखाना रजिस्टर (**प्रदर्श-पी/16ए**) में भी उल्लेख है कि तीन नमूना पैकेट **प्रदर्श-पी/23** के रूप में आरक्षक 891 होलसिंह के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजे गए थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर की प्रतिवेदन, जिसमें उल्लेख है कि रासायनिक परीक्षण के लिए आरक्षक 891 होलसिंह, थाना सुपेला से वस्तुएं ए, बी और सी प्राप्त हुईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. जब्ती ज्ञापन (**प्रदर्श-पी/13**) में उल्लेख है कि नमूनों को ए1, बी1 और सी1 के रूप में और मूल गांजा पैकेटों को ए, बी और सी के रूप में चिह्नित किया गया था। प्रधान आरक्षक भीखमचंद (अ.सा.-2) ने विशेष रूप से शपथपूर्वक साक्ष्य दिया कि नमूने रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजे गए थे। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य था कि वह इस संदेह को सिद्ध करे कि अपीलार्थी से जब्त गांजा की मात्रा से लिए गए नमूनों को सील किया गया था और मुहर का नमूना तैयार किया गया था। अभियोजन पक्ष के लिए यह सिद्ध करना भी आवश्यक था कि नमूनों को सौंपते समय, मालखाना मोहरिर की मुहर नमूनों के साथ-साथ जब्त गांजा की शेष मात्रा पर भी लगाई गई थी। अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध करना होगा कि न केवल जब्ती के समय, बल्कि मालखाना में सौंपते समय भी नमूना पैकेटों पर मुहर लगाई गई थी और रासायनिक

विश्लेषण के लिए नमूना पैकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर में पहुंचाए जाने तक वही सील यथावत रही।

24. **राजस्थान राज्य बनाम भेर सिंह (पूर्वोक्त)** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने में असफल रहा कि जब्त अफीम का नमूना विधि विज्ञान प्रयोगशाला में इसकी परीक्षण तक यथावत रहा - यह एक आज्ञापक आवश्यकता होने के कारण, उच्च न्यायालय के आदेश को पलटने वाले दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जावे ।

25. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन पक्ष ने आरक्षक 891 होलसिंह को परीक्षित नहीं किया। यहां तक कि उप-निरीक्षक एस. डेविड (अ.सा.-1) ने भी **प्रदर्श-पी/13** में मौके पर संपत्ति और नमूनों की सीलिंग के बारे में कुछ नहीं कहा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन (**प्रदर्श-पी/23**) में भी मुहर के नमूने का उल्लेख नहीं है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन (**प्रदर्श-पी/23**) में यह भी उल्लिखित नहीं है कि वस्तुएं ए, बी और सी थाना प्रभारी की मुहर के नमूने के साथ प्राप्त हुई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को समग्रता में विचार करने के बाद, मैं यह सुनिश्चित राय रखता हूं कि अधिनियम, 1985 की धारा 52 और 55 का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए, विधि विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन (**प्रदर्श-पी/23**) अधिनियम, 1985 की धारा 20 के द्वारा अपीलार्थी के दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है।

27. उपरोक्त, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

28. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20(बी)(ii)(बी) के द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त की जाती है।

अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है।

सही/-

श्री आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By : ANKIT SHRIVAS